

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1973/पौष 29, 1894
No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, JAN JARY 19, 1973/PAUSA 29 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 19th January 1973

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification,—

(1) in the Table annexed there to, for the entry in column (3) against serial number 9, the following entry shall be substituted namely:—

“Rags”, that is to say,—

- (a) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and
- (b) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of

the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre”;

(2) for Explanation 1, the following Explanation shall be substituted; namely:—

“Explanation 1.—For the purposes of this notification, “Fents”, means—

(a) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;

(b) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre; and

(c) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarees.”;

(3) in Explanation 2, for the words and figures “numbers 1 and 9,” the word and figure “number 1” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 6/73.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएँ

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

सा० का० नि० 15 (अ).—प्रतिष्ठित उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का भाल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 91/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1939 से एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) उसमें उपाबद्ध मागणी में, क्रम संख्या 9 के सामने के स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

“ ‘चिथड़े’ अर्थात्,—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने देने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े, जं, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से

अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों, और

(ख) क्षत या निम्नस्तर कपास के तन्तुकृतों के कटे टुकड़े जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों;”

(2) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण 1.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “टुकड़ों” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिनके अन्तर्गत तौलियों के कटे टुकड़े नहीं आते), जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर अनधिक लम्बे हों;

(ख) क्षत कपास के तन्तुकृत (जिनके अन्तर्गत क्षत तौलियां नहीं आतीं), जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ग) क्षत धोतियों या साड़ियों के कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”।

(3) स्पष्टीकरण 2 में, “संख्या 1 और 9” शब्दों और अंकों के स्थान पर, संख्या “1” शब्द और अंक रखे जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 1973 की फरवरी के 15 वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 6/73]

G.S.R. 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification number and date.	Amendment
I	2	3
1.	72/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.	For the Explanation in each of the said notifications, the following Explanation shall be substituted, namely:—
2.	135/69-Central Excises, dated the 8th May, 1969.	

“Explanation.—For the purposes of this notification, “Fents” means—

- bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;
- damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre; and
- cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarrees.”

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 7/73.]

सं० क्र० नि० 16 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसमें उपावृद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जायेगी।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	72/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 ।	उक्त अधिसूचनाओं में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाए, अर्थात्—
2.	35/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 मई, 1969 ।	

“स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “टुकड़ों” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रयास मान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के सत्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े

(जिनके अन्तर्गत तौलियों के कटे टुकड़े नहीं आते), जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों;

(ख) क्षत कपास के तन्तुकृत (जिनके अन्तर्गत क्षत तौलियां नहीं आती), जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ग) क्षत धोतियों या साड़ियों के कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”

2. यह अधिसूचना 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 7/73]

G.S.R. 17 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 136/69-Central Excises, dated the 8th May, 1969, namely:—

In the said notification, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation.—For the purposes of this notification, “Fents”, means—

- (a) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;
- (b) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre; and
- (c) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarrees.”

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 8/73.]

सां. कां. निं. 17 (अ) —प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 136/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 मई, 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् .—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् .—

“स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, “टुकड़ों” से निम्नलिखित अभिप्रेत

- (क) विनिर्माण (जिसमें प्रसस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिनके अन्तर्गत तौलियों के कटे टुकड़े नहीं आते), जो, जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों,
- (ख) क्षत कपास के तन्तुकृत (जिनके अन्तर्गत क्षत तौलियाँ नहीं आती), जो, जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों, और
- (ग) क्षत धोतियों या साड़ियों के कटे टुकड़े, जो, जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं. 8/73]

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely—

In the said notification,—

(1) for serial number (viii), the following shall be substituted, namely—

“(viii) “Rags”, that is to say,

- (a) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

- (b) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre".

(2) The Explanation shall be omitted.

2 This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No 9/73]

सा० का० नि० 18(अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 70/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 से एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

(1) क्रम संख्या (Vjii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“(iii) “चिथड़े” अर्थात् —

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेटीमीटर से कम लम्बे हो और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेटीमीटर से कम लम्बे हो, और

(ख) क्षत या निम्नतर कपास के तन्तुकृतों के कटे टुकड़े जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेटीमीटर से कम लम्बे हो और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेटीमीटर से कम लम्बे हो” ।

(2) स्पष्टीकरण लुप्त कर दिया जायेगा ।

यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी ।

[स० 9/73]

G.S.R. 19(E) — In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 175/72 Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely —

In the said notification, for item (ii) of the Explanation the following item shall be substituted, namely —

“(ii) the expression “fents” means—

(a) bona fide cut-pieces of raven or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples, and

- (b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre"

2. This notification shall come into force on the 15th day of February 1973

[No 10/73]

सा० का० नि० 19 (अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 में एतद्वारा निम्नलिखित मशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण की मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् —

“(ii) “टुकड़ों” शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

- (क) विनिर्माण (जिसमें प्रसस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने छाने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृतों के बसुत कटे टुकड़े, जो जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो, और
- (ख) क्षत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत, जो, जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटी मीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो।” ।

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी ।

[सं० 10/73]

GSR 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 80/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely—

In the said notification, for serial number 2, the following shall be substituted, namely —

“2. “Rags”, that is to say,

- (a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples, and
- (b) cut pieces of damaged or sub-standard rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre”

2 This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No 11/73]

सा० का० गि० 20 (अ) .—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 80/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1969 में एनद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. “चिपड़े”, अर्थात्,

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नगूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम रेयन के तन्तुछूतों के वस्तुतः कटे टुकड़े, जो, जहाँ तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हो और जहाँ तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों; और

(ख) क्षत या निम्नस्तर रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुछूतों के कटे टुकड़े, जो, जहाँ तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहाँ तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों; ” ।

2 यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15 वें दिन प्रवृत्त होगी ।

[संख्या 11/73]

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 179-72-Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely:—

In the said notification, for item (ii) of the Explanation, the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) the expression “fents” means—

(a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.”

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 12/73.]

सा० का० नि० 21 (अ) .—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 179/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण की भद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित भद रखी जाएगी अर्थात् :—

“(ii) “टुकड़ों” शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुछूतों के वस्तुतः कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों, और जहां तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ख) क्षत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुछूत, जो, जहां तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुछूत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 12/73]

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 138/70-Central Excises, dated the 13th June, 1970, namely:—

In the said notification, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that nothing contained in this notification shall apply to fents, that is to say,—

(a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.”

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 13/73.]

सं० का० नि० 23(अ).केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944¹ (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 138/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जून, 1970 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे टुकड़ों को लागू नहीं होगी,

अर्थात् :—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसम्भरण भी सम्मिलित है) या पैक करने या तन्तु के लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े, जो, जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ख) क्षत रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकृत, जो जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15 वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 13/73]

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Central Excise Rules, 1944, namely:—

(1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 1973.

(2) In the Central Excise Rules, 1944, in rule 96A, for sub-clauses (b) and (c) of clause (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(b) “rags”, that is to say,—

(i) bona fide cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres

but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

- (ii) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabrics is less than 1 metre;

(c) "fents", that is to say,—

- (i) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;
- (ii) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre; and
- (iii) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarees."

2. This notification shall come into force on the 15th February, 1973.

[No. 14/73.]

सा० का० नि० 23 (अ):— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 96क में, खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) "चिथड़े", अर्थात्:—

(i) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमने केने के प्रसामान्य अन्तःक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुवृक्षों के वस्तुस'

कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों; और

- (ii) क्षत या निम्नस्तर कपास के तन्तुकृतों के कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों;

(ग) “टुकड़े”, अर्थात्:—

- (i) विनिमोण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रशामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिनके अन्तर्गत तीलियों के कटे टुकड़े नहीं आते), जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों;
- (ii) क्षत कपास के तन्तुकृत (जिनके अन्तर्गत क्षत तीलियां नहीं आती) जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहां 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और
- (iii) क्षत धीनियों या साड़ियों के कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।”

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15वें दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 14/73]

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 178/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely:—

In the said notification, for item (i) of the Explanation, the following item shall be substituted, namely:—

“(i) the expression “fents” means—

- (a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and
- (b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.”

2. This notification shall come into force on the 15th day of February, 1973.

[No. 15/73.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

सा० का० नि० 24(अ).—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने पर, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 178/72 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण की मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(i)” “टुकड़ों” शब्द में निम्नलिखित अभिप्रेत है —

- (क) विनिर्माण (जिस में प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम रेशम के तन्तुकुतों के वस्तुतः कटे टुकड़ों, जो, जहाँ तन्तुकुत की चौड़ाई एक मीटर या उस से अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उस से अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो और जहाँ तन्तुकुत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ख) क्षत रेखन या कृत्रिम रेखन के तन्तुकृत, जो जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उस से अधिक हो वहाँ, 45 सेंटीमीटर या उस से अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों, और जहाँ तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उस से अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।

2. यह अधिसूचना, 1973 की फरवरी के 15 वे दिन प्रवृत्त होगी।

[सं० 15/73]

जे० पी० कौणिक, अधीक्षक सचिव।

